

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर महाल, दी ३/१, राजभवन रोड़े-सी हाई, जयपुर

क्रमांक एफ1(2)()स्था./सान्यावि/14/11012

जयपुर, दिनांक १५.८.२०१४


विज्ञापित

राज्य के विभिन्न जिलों में विभाग के अधीन संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास/राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास/महाविद्यालय स्तरीय महिला छात्रावास/राजकीय देवनारायण छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी—ग के रिक्त पदों को सेवानिवृत्त अध्यापक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक तथा विभाग के सेवानिवृत्त छात्रावास अधीक्षकों को समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति पर एक वर्ष की अवधि के लिये सेवाएं लिए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त 64 वर्ष तक के योग्यताधारी कार्मिक सादा कागज पर नाम, पता, जन्म तिथि, सेवानिवृत्त के समय धारित पद, विभाग, सेवानिवृत्ति के समय का वेतन एवं पीपीओ, अन्तिम आहरण अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र आदि का पूर्ण विवरण सहित दिनांक 14.08.2014 तक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जिले के उप निदेशक/सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, के कार्यालय में स्वयं/रजिस्टर्ड डाक या sje.recruit.retd@gmail.com पर भिजवा सकते हैं। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त सेवाएं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अध्याधीन होगी।

रिक्त पदों की जिलेवार सूची जिले के उप निदेशक/सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में तथा विभाग की वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी हेतु अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से ०१४१-२२२०१९४ तथा सहायक निदेशक (छात्रावास) मोबाईल नं. ९६३६४८७५९० पर सम्पर्क कर सकते हैं।


आयुक्त

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 17(10)डीओपी / ए-॥ / 94

जयपुर, दिनांक 26 MAY 2014

घरिपत्र

विषय:-सेवानिवृत्ति सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

- (1) राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा संस्थाओं की रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति हेतु विभाग के प्रशासनिक सचिव के द्वारा संवर्ग नियंत्रक अधिकारी की राय/सहमति के पश्चात कार्मिक विभाग और वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल उन पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु :-

 - राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में सेवाएं लेने हेतु संबंधित प्रशासनिक सचिव सक्षम प्राधिकारी होगा।
 - विभागाध्यक्ष, अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी काडर में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।
 - सबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी रत्न की रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

- (3) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिकितयों को 65 वर्ष की आयु से कम या कर्मचारी शारीरिक रूप से (चिकित्सकीय रूप से) उपयुक्त रहने तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर मूद के विलक्ष समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निलगिरि पर्वों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिलूप रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।

- (4) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक रिक्वान्ट भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता अन्तरित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे।
(5) सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ट - 'क' के अनुसार होगी।

उक्त परिशिष्ट - 'क' में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।

- (6) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो विगत पांच वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
(7) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर बचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी से ठीक उच्चतर अधिकारी की अनुज्ञा से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
(8) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (परिशिष्ट - 'ख')
(9) संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकरिमक अवकाश के हकदार होंगे। ये राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपर्युक्त अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। विना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपरिधिति के लिए मार्शिक पारिश्रमिक का 1/30 या मात्र कोटा जायेगा।

- (10) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवार्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (11) संविदा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर संक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।
- (12) संविदा व्यावहारिक संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।
- (13) संविदा पुनर्नियुक्त आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़वाही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101400500 दिनांक 21.05.2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
 2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
 3. उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय।
 4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
 5. समस्त संभागीय अधिकृत/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
 6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1/ख-2) विभाग।
 7. एनालिस्ट-कर्म्मन्यामर्त (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
 9. रक्षित पत्रावली।

२५३
(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

राज्यका गारमा मीटिंग

सेवानिवृत्त कर्मिकों की समिदा पैनर्नियुक्ति सेवाएं लिये जाने पर समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायगी।

क्रम सं.	बेतनगान में सेवानिवृत्त होने वाले पदवारों संख्यान सिविल सेवा (पैनर्नियुक्त सेवानिवृत्त) नियम, 2008 में बेतन वेतन प्रेड पै	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	4750-7440+प्रेड वेतन 1300	5100
2	4750-7440+प्रेड वेतन 1400	
3	4750-7440+प्रेड वेतन 1650	
4	5200-20200+प्रेड वेतन 1700	
5	5200-20200+प्रेड वेतन 1750	
6	5200-20200+प्रेड वेतन 1800	
7	5200-20200+प्रेड वेतन 1850	
8	5200-20200+प्रेड वेतन 1900	6800
9	5200-20200+प्रेड वेतन 2000	
10	5200-20200+प्रेड वेतन 2100	
11	5200-20200+प्रेड वेतन 2400	
12	5200-20200+प्रेड वेतन 2800	
13	9300-34800+प्रेड वेतन 3200	9000
14	9300-34800+प्रेड वेतन 3600	
15	9300-34800+प्रेड वेतन 4200	12000
16	9300-34800+प्रेड वेतन 4800	
17	9300-34800+प्रेड वेतन 5400	15000
18	15600-39100+प्रेड वेतन 5400	
19	15600-39100+प्रेड वेतन 6000	18000
20	15600-39100+प्रेड वेतन 6600	20000
21	15600-39100+प्रेड वेतन 6800	
22	15600-39100+प्रेड वेतन 7200	23000
23	15600-39100+प्रेड वेतन 7600	
24	15600-39100+प्रेड वेतन 8200	
25	37400-67000+प्रेड वेतन 8200	26000
26	37400-67000+प्रेड वेतन 8900	
27	37400-67000+प्रेड वेतन 9500 नई प्रेड पै	30000
28	37400-67000+प्रेड वेतन 10000	

नोट - उपरोक्त प्रस्तावित समेकित पारिश्रमिक सेवानिवृत्ति के लिये इन सभी वेतनों का गुण उच्च है इस लिये इस वेतन पर यह राशि की अस्तिक नहीं है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने के लिए कार्मिक विभाग का पारिपत्र इस..... दिनांक.....
 द्वारा जारी मान्यदेशक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्रिय सरकार का प्राधिकारी समिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री पुत्र/पुत्री श्री निवासी
 (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है ?

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध-न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।
2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।
3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।
4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन प्रति मास रु. पर नियत की गई है कि समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन (रनिंग पे.वेण्ड वेतन+ग्रेड पे) में से मूल पेंशन राशि कम करने पर अवशेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तंत्रजुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्ण तोतिस दंकर रामायन किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

7. द्वितीय पक्षकार एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवार के आकरिगक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।
8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलक्षियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
9. अधिकारिता के भोत्तर कार्य स्थान संकाम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजरथान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
10. ऐसे व्यक्तियों को सात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवार्तन के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो महलों से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दराने पर जारी किये जा सकते हैं।
12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थिति के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी

- 1.
- 2.

1.

2.

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में
संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	:
2. पिता का नाम	:
3. जन्म तिथि	:
4. अर्हताएं	:
5. मूल विभाग का नाम	:
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद	:
7. अनुभव	:
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी सलाना है)	:
9. मूल प्रशासनिक विभाग (सलाना)	:
10. धारिता पद का वेतनमात्र (सेवानिवृत्ति के समर्थ)	:
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)	:

सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए
वचनवर्प

अधोहस्ताक्षरी, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के
लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.....दिनांक.....
में दिये गये सहमत निर्वाधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी
सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को
स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त
निर्वाधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता
है।

जयपुर:

दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में विन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक बचनबंध के विचार के लिए उसकी अन्यथिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती ल. मासिक जुलूस वेतन (रनिंग पे थैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध काइ विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस प्रद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सौल


विज्ञापिता

राज्य के विभिन्न जिलों में विभाग के अधीन संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास/राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास/महाविद्यालय स्तरीय महिला छात्रावास/राजकीय देवनारायण छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी—ग के रिक्त पदों को सेवानिवृत्त अध्यापक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक तथा विभाग के सेवानिवृत्त छात्रावास अधीक्षकों को समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति पर एक वर्ष की अवधि के लिये सेवाएं लिए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त 64 वर्ष तक के योग्यताधारी कार्मिक सादा कागज पर नाम, पता, जन्म तिथि, सेवानिवृत्त के समय धारित पद, विभाग, सेवानिवृत्ति के समय का वेतन एवं पीपीओ, अन्तिम आहरण अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र आदि का पूर्ण विवरण सहित दिनांक 14.08.2014 तक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जिले के उप निदेशक/सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, के कार्यालय में स्वयं/रजिस्टर्ड डाक या sje.recruit.retd@gmail.com पर भिजवा सकते हैं। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त सेवाएं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 में वर्णित दिशा—निर्देशों के अध्याधीन होगी।

रिक्त पदों की जिलेवार सूची जिले के उप निदेशक/सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में तथा विभाग की वेबसाईट sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी हेतु अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से 0141—2220194 तथा सहायक निदेशक (छात्रावास) मोबाईल नं. 9636487590 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


आयुक्त